# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

खेमराज गौतम का स्थानांतरण व्याख्याता समाजशास्त्र के पद पर आदेश क्रमांकः– शिविरा/मा./सस्था/सी–5/स्थानातंरण पदस्थापन/2018 दिनांक 18.06.18 द्वारा राउमावि मुण्डियार, शाहबाद, बारां से राउमावि संदोकडा, बांरा में किया गया था । याचिकार्थी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपने स्थानांतरण आदेशों के विरूद्व अपील संख्या 2605/2018 दायर की । अपनी अपील में अपीलार्थी ने व्यक्त किया कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है । जब कि राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार पति पत्नी को यथा संभव एक ही स्थान अथवा आसपास पदस्थापित किया जाना चाहिये परन्तु अपीलार्थी को पत्नी के पदस्थापन स्थान से लगथग 155 किमी दूर स्थानातंरित कर दिया गया है एवं स्थानातंरण पर उसे यात्रा भत्ता एवं योगकाल देने से भी वंचित किया गया है । अपील के संदर्भ में पारित निर्णय दिनांक 23.8.18 अनुसार माननीय न्यायालय ने अपील को अप्रार्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने के आदेश दिये । तदनुरूप अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।

अपील द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन का विभागीय अभिलेखों के साथ अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि अपीलार्थी को स्वय के साक्षात्कार दिये जाने के आधार पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में पीओ पद पर एडीपीसी बांरा, में आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था–4/सी–8/समसा–प्रतिनियुक्ति/2018 दिनांक 5/10/18 से प्रतिनियुक्ति पर लगाया जा चुका है । उक्त आधार पर अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है । समस्त संबंधित पक्षकार सूचित हो ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः– शिविरा/मा./संस्था सी–5/अभ्यावेदन/2018** **दिनांक** 12-11-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी विधि माध्यमिक शिक्षा जयपुर को अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
5. सहायक निदेशक विधि अनुभाग निदेशालय बीकानेर के बी–3 प्रभाग को अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
6. संबंधित संस्था प्रधान,
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
निदेशालय–बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## –:: कार्यालय आदेश ::–

विभागीय पदोन्नति समिति 2018 से चयनोपरान्त काउंसलिग आयोजित कर रामकिशन का पदस्थापन व्याख्याता भूगोल के पद पर राउमावि गांगरोली, बैर, भरतपुर में किया गया, जहां इन्होनें दिनांक 11/6/18 को कार्यग्रहण कर लिया है । श्री रामकिशन ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 18156/2018 दायर की। याची ने कहा की है कि वह विकलांग है और भूतपूर्व सैनिक से सेवानिवृति पश्चात सेवा में नियुक्त हुआ है एवं पदोन्नति पर उसका पदस्थापन निवास स्थान से दूर है जब कि नजदीक में ही राउमावि अरौंदा नदबई भरतपुर से भूगोल विषय पद रिक्त है । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया है । माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

याचिकार्थी रामकिशन से प्राप्त सबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और पाया गया कि उक्त याचिकार्थी द्वारा दिनांक 11/6/18 को राउमावि गांगरोली,बैर, भरतपुर में व्याख्याता भूगोल के पद पर कार्यग्रहण किया जा चुका है । याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्यहित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है पदोन्नति पर याची को विकलांग श्रेणी का लाभ देते हुवे काउन्सलिंग के लिये वरीयता क्रम निर्धारित किया गया तथा उसी क्रम में याची को अपना पदस्थापन स्थान के चयन का अवसर दिया गया और याची ने उक्त विद्यालय का चयन करते हुवे अपना सहमति पत्र दिया । नियमानुसार जो रिक्त पद भरतपुर जिले के काउंसलिंग के लिये निर्धारित किये गये थे उन्ही विद्यालयों में से याची को चयन का अवसर दिया गया । अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है । सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों ।

**(नथमल डिडेल)**
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–5/**याचिका सं0 18156**/रामकिशन/18 दिनांक 12-11-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
3. संबंधित कार्मिक रामकिशन राउमावि गांगरोली, बैर, भरतपुर
4. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर